श्री विजय कुमार सिन्हा, माननीय उप मुख्यमंत्री–सह–मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक–26.12.2025 को पूर्णिया समाहरणालय महानन्दा सभाकक्ष में आयोजित राजस्व संबंधी कार्यो की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

सभी पदाधिकारियों का स्वागत के साथ बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी :–

❖ **Mutation Defect Check Application :-**

Mutation Defect Check Application की समीक्षा में स्पष्ट हुआ कि सबसे अधिक 4432 आवेदन पूर्णिया पूर्व अंचल में निष्पादन हेतु लंबित है तथा राजस्व कर्मचारी के पास 1442 आवेदन निष्पादन हेतु लंबित है। इससे संबंधी पृच्छा में अंचल अधिकारी, पूर्णिया पूर्व द्वारा बताया गया कि ज्यादातर आवेदन नगर निगम हल्का 1A का है। उनके द्वारा बताया गया कि लगान निर्धारण इसी वर्ष हुआ है इसलिए म्यूटेशन के काफी आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। नगर निगम हल्का 1A के अन्तर्गत नगर निगम क्षेत्र के 25 से ज्यादा वार्ड आते हैं तथा एक ही कर्मचारी के पास उक्त का प्रभार है, इस कारण ही ज्यादा आवेदन लंबित है। उन्हें निदेशित किया गया कि नगर निगम हल्का 1A को 2–3 हल्का में विभक्त करने संबंधी पत्र अपर समाहर्त्ता के स्तर से विभाग को भेजना सुनिश्चित करें। साथ ही नगर निगम हल्का 1A के राजस्व कर्मचारी, श्री भगीरथ प्रजापति को लंबित आवेदनों को 20 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से निष्पादित करने का निदेश दिया गया।

❖ **के0नगर :–**

के0नगर अंचल में 535 आवेदन, अमौर में 230 आवेदन, कसबा में 319 आवेदन एवं धमदाहा में 226 आवेदन राजस्व कर्मचारी के स्तर पर लंबित है। साथ ही 20 दिन से अधिक लंबित आवेदन पूर्णिया पूर्व में 3439, के0नगर में 1878, अमौर में 2382, कसबा में 1124 तथा धमदाहा में 1493 है। विवादित मामलों को छोड़कर शेष लंबित आवेदनों का निष्पादन 20 दिनों की समय–सीमा के अन्दर सुनिश्चित करने तथा आवेदन के निष्पादन में FIFO का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निदेश सभी अंचलाधिकारी, पूर्णिया जिला को दिया गया।

❖ **Mutation Defect Check Application Status :-**

Mutation Defect Check Application Status की हल्कावार समीक्षा में स्पष्ट हुआ कि नगर निगम हल्का 1B के अन्तर्गत भी 862 आवेदन निष्पादन हेतु लंबित हैं जिसमें से 691 आवेदन 20 दिनों से अधिक समय–सीमा से लंबित हैं। उपस्थित नगर निगम हल्का 1B के राजस्व कर्मचारी को लंबित आवेदनों का निष्पादन 10 दिनों के अन्दर सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया। 10 दिनों के अन्दर लंबित आवेदनों का निष्पादन नहीं करने पर संबंधित राजस्व कर्मचारी के स्थानांतरण का प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

❖ **कसबा प्रखण्ड :–**

कसबा प्रखण्ड के कसबा नगर पंचायत हल्का में 20 दिनों से अधिक समय–सीमा के 212 आवेदन, के0नगर के बेलारिकावगंज हल्का में 20 दिनों से अधिक समय–सीमा के 393 आवेदन तथा के0नगर के गौआसी हल्का में 214 आवेदन निष्पादन हेतु लंबित है। संबंधित राजस्व कर्मचारी एवं अंचलाधिकारी को 20 दिनों से अधिक लंबित आवेदनों का निष्पादन 1 सप्ताह के अन्दर कराने का निदेश दिया गया।

❖ **Average Time Taken To Dispose Mutation Application :-**

Average Time Taken To Dispose Mutation Application की समीक्षा में पूर्णिया पूर्व का Average Day Dispose Time 84 दिन, भवानीपुर अंचल का 56 दिन, श्रीनगर अंचल का 55 दिन एवं धमदाहा अंचल का 53 दिन है। सभी अंचलाधिकारी को निदेशित किया गया कि Maximum समय–सीमा की प्रतीक्षा किये बिना अधिकतम आवेदनों का निष्पादन 20 दिनों के अन्दर निष्पादन करना सुनिश्चित करें एवं कोई भी आवेदन 75 दिनों से अधिक निष्पादन हेतु लंबित न रहे, इसे सुनिश्चित करायें। रूपौली, बैसा, अमौर एवं बायसी अंचल में Average Day Dispose Time 34 एवं 35 दिन है। उक्त अंचलों के अंचल अधिकारियों को समय–सीमा के अन्दर दाखिल–खारिज मामलों के निष्पादन के लिए सराहना की गयी।

❖ **ऑन लाईन म्यूटेशन :–**

ऑन लाईन म्यूटेशन की समीक्षा में स्पष्ट हुआ कि पूर्णिया पूर्व अंचल में 75 दिनों से अधिक लंबित आवेदनों की संख्या 1887 है। साथ ही 120 दिनों से अधिक समय तक लंबित आवेदनों की संख्या 537 है। यह स्थिति अत्यंत ही खराब है एवं निराशाजनक है। अंचलाधिकारी, पूर्णिया पूर्व को व्यक्तिगत रूची लेकर लंबित आवेदनों का तीव्र गति से सभी लंबित मामलों को 14 जनवरी तक निष्पादन सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया।

❖ बनमनखी, बैसा एवं धमदहा में भी काफी आवेदन 35 दिनों से अधिक समय सीमा से लंबित है। साथ ही पूर्णिया पूर्व अंचल के बाद सबसे ज्यादा 34331 आवेदन बनमनखी में रिजेक्ट हुए हैं, यह अत्यंत ही खराब स्थिति है। अंचलाधिकारी, बनमनखी को निदेशित किया गया कि वैध कारण से ही आवेदन रिजेक्ट करें तथा रिजेक्ट आवेदनों का औसत राज्य के औसत से ज्यादा ना हो, इसे सुनिश्चित करें।

❖ ऑन लाईन म्यूटेशन के तहत Reject आवेदनों की हल्कावार समीक्षा में पुनः नगर निगम हल्का 1A एवं 1B, की स्थिति काफी खराब पायी गयी। अंचलवार समीक्षा में पूर्णिया पूर्व में सबसे अधिक 14.96 प्रतिशत आवेदन Reject हुए हैं। के0नगर में 13.73, बनमनखी में 8.70 एवं भवानीपुर में 9.17 प्रतिशत आवेदन Reject किये गये हैं। जो काफी अधिक है। इससे संबंधी पृच्छा में अंचलाधिकारी, के0नगर द्वारा बताया गया कि सीलिंग की जमीन के म्यूटेशन का आवेदन प्राप्त होने के कारण अधिकतम वाद Reject हुए हैं। आई0टी0 प्रबंधक, पूर्णिया को Reject आवेदनों का कारण सहित Chart बनाने का निदेश दिया गया तथा अपर समाहर्त्ता, पूर्णिया को उक्त की समीक्षा कर वैध कारण से ही आवेदन Reject हो, इसे सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया।

❖ समीक्षा के क्रम में सभी अंचलाधिकारी, पूर्णिया जिला को निदेशित किया गया कि आवेदक की सुविधा को ध्यान में रखते हुए म्यूटेशन वाद के Reject संबंधी आदेश में Time Line के साथ Next Court Of Appeal का वर्णन आदेश के अंतिम पारा में निश्चित रूप से कर दें।

❖ पी0पी0टी0 के माध्यम से ऑनलाइन म्यूटेशन की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि अंतिम 05 अंचल पूर्णिया पूर्वी सदर, धमदाहा, जलालगढ़, कसबा एवं श्रीनगर का निष्पादन प्रतिशत न्यून रहा है। माननीय उप मुख्यमंत्री–सह–मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा यह निदेश दिया गया कि आगामी दिनांक–14.01.2026 तक सभी अंचल अपने लंबित मामलों का नियमानुसार निष्पादन करना सुनिश्चित करें। पुनः आगामी समीक्षात्मक बैठक में इसकी समीक्षा की जायेगी।

❖ **परिमार्जन प्लस (For Digitized Jamabandi)** :–

परिमार्जन प्लस (For Digitized Jamabandi) की समीक्षा में स्पष्ट हुआ कि पूर्णिया पूर्व अंचल में 4913 आवेदन निष्पादन हेतु लंबित है। जिसमें अंचलाधिकारी, पूर्णिया पूर्व के लॉग इन में 2290 एवं राजस्व कर्मचारी के लॉग इन में 2140 आवेदन निष्पादन हेतु लंबित है। इसी तरह अंचलाधिकारी, बायसी के लॉग इन में 1918 आवेदन निष्पादन हेतु

लंबित है। इससे संबंधी पृच्छा में अंचलाधिकारी, बायसी द्वारा बताया गया कि डोंगल की समस्या के कारण इतने अधिक आवेदन निष्पादन हेतु लंबित है। आई0टी0 प्रबंधक को विभाग से समन्वय स्थापित कर डोंगल 5 दिनों के अन्दर उपलब्ध हो जाय, इसे सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया।

❖ अंचलाधिकरी, बैसा के द्वारा 51 प्रतिशत परिमार्जन प्लस के आवेदनों को रिजेक्ट कर दिया गया है। अपर समाहर्त्ता, पूर्णिया को उक्त की जांच कराने का निदेश दिया गया।

❖ अंचल पूर्णिया पूर्व का कार्य सभी Indicator पर खराब है। उक्त अंचल का निरक्षण कर प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश अपर समाहर्त्ता, पूर्णिया को दिया गया।

❖ परिमार्जन प्लस के Revert आवेदनों की समीक्षा में स्पष्ट हुआ कि अंचल अमौर में सबसे अधिक 967 आवेदन Revert किये गये है। अंचलाधिकारी, अमौर को निदेशित किया गया कि राजस्व कर्मचारी एवं CSC के साथ बैठक कर उन्हें सभी बिन्दुओं से अवगत करा दें ताकि परिमार्जन प्लस के आवेदन Revert Back नहीं हो सके। परिमार्जन प्लस के लंबित आवेदनों का निष्पादन एक सप्ताह के अन्दर सुनिश्चित कराने तथा आवेदन Revert Back न हो, इसे सुनिश्चित कराने का निदेश सभी अंचलाधिकारी, पूर्णिया जिला को दिया गया। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता एवं अपर समाहर्त्ता को Revert Back आवेदनों की समीक्षा कर निष्पादन कराने का निदेश दिया गया।

❖ परिमार्जन प्लस के निष्पादित आवेदनों की समीक्षा में रूपौली द्वारा काफी आवेदन निष्पादन किये गये हैं। उक्त की प्रशंसा की गयी।

❖ परिमार्जन प्सास (For Digitized Jamabandi) की हल्कावार समीक्षा में नगर निगम_1A एवं चम्पावती के राजस्व कर्मचारी के पास सबसे अधिक आवेदन लंबित पाया गया। संबंधित राजस्व कर्मचारी को परिमार्जन प्लस के लंबित आवेदनों को एक सप्ताह के अन्दर निष्पादित कराने का निदेश दिया गया।

❖ राजस्व कर्मचारी को राजस्व कार्यो को स्वयं निष्पादित करने तथा बिचौलिये एवं निजी व्यक्ति से किसी भी स्थिति में संबंध नहीं रखने अन्यथा जांचोपरान्त उनके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने का निदेश भूमि सुधार उप समाहर्त्ता एवं अपर समाहर्त्ता, पूर्णिया को दिया गया।

❖ परिमार्जन प्लस (For Digitized Jamabandi) 2025-26 की समीक्षा में बायसी एवं बैसा की उपलब्धि 60 प्रतिशत से भी कम पायी गयी। जबकि जलालगढ़ में 85.63 प्रतिशत, रूपौली में 79.84 प्रतिशत एवं श्रीनगर में 79.44 प्रतिशत है। उक्त में सुधार करने का निदेश अंचलाधिकारी, बायसी, बैसा एवं अमौर को दिया गया।

❖ जिलाधिकारी, पूर्णिया एवं अपर समाहर्त्ता, पूर्णिया को Indicator Wise राजस्व कार्यों की समीक्षा कर लंबित आवेदनों का ससमय निष्पादन कराने का निदेश दिया गया।

❖ परिमार्जन प्लस (For Left out Jamabandi) की समीक्षा में पूर्णिया पूर्व में 3092 आवेदन, रूपौली में 1376 एवं बायसी में 1204 आवेदन निष्पादन हेतु लंबित पाया गया। लंबित आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पाद करने का निदेश अंचलाधिकारी, पूर्णिया पूर्व, रूपौली एवं बायसी को दिया गया।

❖ परिमार्जन प्लस (For Left out Jamabandi) 2025-26 की समीक्षा में बनमनखी में 38.60 प्रतिशत ही Disposal पाया गया। इससे संबंधी पृच्छा में अंचलाधिकारी, बनमनखी द्वारा बताया गया कि बनमनखी अंचल में जमाबंदी संबंधी अधिकतम अभिलेख फटे होने के कारण निष्पादन की गति अपेक्षाकृत कम है। सचिव द्वारा निदेशित किया गया कि विभागीय प्रावधान के आलोक में फटे हुए जमाबंदी के मामले का निष्पादन तीव्र गति से कराना सुनिश्चित करें।

❖ पी0पी0टी0 के माध्यम से ऑनलाइन परिमार्जन प्लस की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि अंतिम 05 अंचल बायसी, बैसा, अमौर, बनमनखी एवं धमदाहा का निष्पादन प्रतिशत न्यून रहा है। माननीय उप मुख्यमंत्री-सह-मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा यह निदेश दिया गया कि आगामी दिनांक-14.01.2026 तक सभी अंचल अपने लंबित मामलों का नियमानुसार निष्पादन करना सुनिश्चित करें। पुनः आगामी समीक्षात्मक बैठक में इसकी समीक्षा की जायेगी।

❖ **<u>ई-मापी</u>** :-

ई-मापी की समीक्षा में जलालगढ़, डगरूआ, अमौर, बी0कोठी, बनमनखी, पूर्णिया पूर्व, के0नगर, बैसा एवं बायसी अंचल की स्थिति असंतोषजनक पायी गयी। उक्त अंचल में अपेक्षाकृत काफी कम मापी की गयी है जबकि कसबा अंचल में वर्ष 2025-26 में 322 मापी की गयी है। उक्त के संबंध में सभी अंचलाधिकारियों को निदेशित किया गया कि कसबा अंचल द्वारा अपनाई गयी पद्धति सभी अंचल में अपनायें तथा सभी अमीन को

क्षेत्रवार दैनिक रूप से मापी का लक्ष्य देते हुए सभी आवेदनों का त्वरित निष्पादन करना सुनिश्चित करायें।

❖ नापी में 3 महीने से अधिक का समय ना दिया जाय तथा एक अमीन महीने में 20 से कम मापी ना करे इसे सुनिश्चित कराने का निदेश सभी अंचलाधिकारी, पूर्णिया जिला को दिया गया।

❖ पी0पी0टी0 के माध्यम से ऑनलाइन ई–मापी की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि अंतिम 05 अंचल जलालगढ़, डगरूआ, अमौर, बरहरा कोठी एवं बनमनखी का निष्पादन प्रतिशत न्यून रहा है। माननीय उप मुख्यमंत्री–सह–मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा यह निदेश दिया गया कि आगामी दिनांक–14.01.2026 तक सभी अंचल अपने लंबित मामलों का नियमानुसार निष्पादन करना सुनिश्चित करें। पुनः आगामी समीक्षात्मक बैठक में इसकी समीक्षा की जायेगी।

❖ **अभियान बसेरा–2 :–**

अभियान बसेरा–2 की समीक्षा में स्पष्ट हुआ कि रूपौली अंचल में Not Fit For Land Allotment 140, भवानीपुर में 160, बनमनखी में 189 मामले लंबित हैं। Not Fit For Land Allotment के मामले में Revisit करने तथा Tecnical दिक्कत की स्थिति में Ticket Raise करने का निदेश सभी अंचलाधिकारी, पूर्णिया जिला को दिया गया।

❖ प्रतिशत भूमि आवंटन की समीक्षा में स्पष्ट हुआ कि रूपौली, अमौर, भवानीपुर एवं बनमनखी द्वारा 60 प्रतिशत से कम लोगों को अभियान बसेरा के तहत भूमि आवंटित किया गया है। गरीब एवं कमजोर वर्गों के प्रति पूरी संवेदनशीलता के साथ प्राथमिकता के आधार पर उनका कार्य करने तथा बेदखली के मामले में दखल दिलाने का निदेश सभी अंचलाधिकारी, पूर्णिया जिला को दिया गया।

❖ जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि अम्बेडकर समग्र सेवा के तहत भी काफी भूमिहीन लोगों को भूमि उपलब्ध कराया गया था, उक्त का भी आँकड़ा दर्शाने का निदेश सभी अंचलाधिकारी को दिया गया।

❖ सरकारी जमीन के सत्यापन की समीक्षा में अमौर, पूर्णिया पूर्व, बनमनखी एवं बैसा की स्थिति अपेक्षाकृत खराब पायी गयी। अंचलाधिकारी, अमौर द्वारा बताया गया कि एक सप्ताह के अन्दर कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। सभी अंचलाधिकारी को तीव्र गति से सरकारी भूमि का सत्यापन कराते हुए अविलम्ब उक्त कार्य को पूर्ण कराने का निदेश दिया गया।

❖ समीक्षा के दौरान निदेशित किया गया कि पर्चा दिये गये भूमि की बिक्री ना हो तथा बिक्री हुई तो कौन जमीन की ब्रिकी किये हैं, उसे चिंह्नित करें तथा संबंधित भूमि को सरकारी भूमि घोषित करते हुए दोषी के विरूद्ध कार्रवाई करने का निदेश सभी अंचलाधिकारी, पूर्णिया जिला को दिया गया।

❖ महाअभियान के तहत प्राप्त आवेदनों के स्केनिंग की समीक्षा में स्पष्ट हुआ कि के०नगर, पूर्णिया पूर्व, डगरूआ एवं कसबा द्वारा 50 प्रतिशत आवेदनों से कम आवेदनों की स्केनिंग की गयी है। महाअभियान के तहत प्राप्त सभी आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर स्केनिगं कराते हुए यह कार्य दिनांक–31.12.2025 तक निश्चित रूप से खत्म करने का निदेश सभी अंचलाधिकारी, पूर्णिया जिला को दिया गया। उक्त कार्य में CSC की मदद ली जा सकती है परन्तु दिनांक– 31.12.2025 तक उक्त कार्य निश्चित रूप से पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

❖ BLDRA की समीक्षा में बनमनखी में Last तीन महीने में कोई भी वाद निष्पादन नहीं पाया गया। इस संबंध में बताया गया कि बनमनखी अनुमण्डल में DCLR का पद रिक्त है तथा PGRO को प्रभार दिया गया है परन्तु उसे न्यायालय की शक्ति नहीं रहने के कारण वे वाद की सुनवाई नहीं कर पा रहे हैं।

❖ BLDRA के तहत DCLR बायसी द्वारा भी मात्र 1 वाद एवं DCLR पूर्णिया द्वारा 4 वाद तथा DCLR धमदाहा द्वारा मात्र 5 वाद Last तीन महीने में निष्पादन किया गया है। पूर्णिया सदर में काफी वाद निष्पादन हेतु लंबित है। म्यूटेशन अपील के भी काफी मामले सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के पास निष्पादन हेतु लंबित हैं। सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को नियमित रूप से वादों की सुनवाई कर लंबित वादों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करने का निदेश दिया गया। आयुक्त, पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया को न्यायालय वाद की समीक्षा करने का निदेश दिया गया।

❖ अपर समाहर्त्ता एवं समाहर्त्ता को भी न्यायालय वाद का तीव्र गति से निष्पादन कराने का निदेश दिया गया।

❖ CO POP Score and Rank की समीक्षा में स्पष्ट हुआ कि बनमनखी, बैसा, पूर्णिया पूर्व, धमदाहा एवं जलालगढ़ अंचलाधिकारी का रैंक अक्टूबर माह की तुलना में नीचे चला गया है। बनमनखी, बैसा, पूर्णिया पूर्व, अमौर, रूपौली एवं डगरूआ का रैंक 300 से उपर है जो काफी असंतोषजनक है। संबंधित अंचलाधिकारी को कार्यप्रणाली में सुधार करते हुए लंबित

मामलों का तीव्रता से ससमय निष्पादन करने का निदेश दिया गया ताकि उक्त की उपलब्धि रैंक एवं स्कोर में भी परिलक्षित हो सके।

❖ अभियान बसेरा–2 सरकार की एक महत्वकांक्षी योजना हैं। पी0पी0टी0 के माध्यम से अभियान बसेरा–2 की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि अंतिम 05 अंचल रूपौली, अमौर, भवानीपुर, डगरूआ एवं बनमनखी का निष्पादन प्रतिशत न्यून रहा है। माननीय उप मुख्यमंत्री–सह–मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा यह निदेश दिया गया कि आगामी दिनांक–14.01.2026 तक सभी अंचल अपने लंबित मामलों का नियमानुसार निष्पादन करना सुनिश्चित करें। पुनः आगामी समीक्षात्मक बैठक में इसकी समीक्षा की जायेगी।

❖ <u>सरकारी भूमि का सत्यापन</u> :– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अमौर, पूर्णियाँ पूर्वी, बनमनखी, बैसा एवं डगरूआ में सरकारी भूमि का सत्यापन न्यून हुआ है। माननीय उप मुख्यमंत्री–सह–मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा यह निदेश दिया गया कि आगामी दिनांक–14.01.2026 तक सभी लंबित मामलों का नियमानुसार निष्पादन कर ली जाय। पुनः आगामी समीक्षात्मक बैठक में इसकी समीक्षा की जायेगी।

अन्त में सधन्यवाद के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

7/1/26

(जय सिंह)
सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–10/सम0 (बैठक कार्यवाही)–05/2026— 243 (10)/रा0, पटना–15, दिनांक –19.02.26

E-mail

प्रतिलिपि– प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णिया/समाहर्त्ता, पूर्णिया/अपर समाहर्त्ता, पूर्णिया/नगर आयुक्त, पूर्णिया/सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पूर्णिया/सभी अंचल अधिकारी, पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/2/26
(आजीव वत्सराज)
अपर सचिव।

ज्ञापांक–10/सम0 (बैठक कार्यवाही)–05/2026— 243 (10)/रा0, पटना–15, दिनांक –19.02.26

प्रतिलिपि–निदेशक, तीनों निदेशालय/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/सभी विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/2/26
(आजीव वत्सराज)
अपर सचिव।

ज्ञापांक–10/सम0 (बैठक कार्यवाही)–05/2026— 243 (10)/रा0, पटना–15, दिनांक –19.02.26

प्रतिलिपि–माननीय उप मुख्यमंत्री–सह मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/सभी सचिव के आप्त सचिव/कोषांग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/2/26
(आजीव वत्सराज)
अपर सचिव।